फाइल सं. ए.12018/42/2019-कुष्ठ
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय - केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में क्षेत्र अन्वेषक समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में क्षेत्र अन्वेषक समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 01/12/22
(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक 01/12/22

[भारत के राजपत्र, भाग 2, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2022

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु (समूह 'ग') भर्ती नियमावली, 1980 का अधिक्रमण करते हुए, जहां तक क्षेत्र अन्वेषक के पद का संबंध है उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में क्षेत्र अन्वेषक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, क्षेत्र अन्वेषक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स या वेतनमान-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है
   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क्षेत्र अन्वेषक	2*(2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (₹29200-92300) रु.	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष की आयु। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के मामलें में विभागीय कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामलें में पचास वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी 1**: आयु-सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार **द्वीप** और **लक्षद्वीप** संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पणी 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	अनिवार्य: 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (बारहवीं कक्षा) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. ऑक्सीलियरी नर्स मिडवाइफ या बहुकृतिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता में डिप्लोमा पूरा करने के बाद स्वास्थ्य आगंतुक या बहुकृतिक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (एफ) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण और पाठ्यक्रम भारतीय नर्सिंग परिषद में पंजीकृत होना चाहिए। 3. कैंद्र सरकार के अस्पताल या संस्थान से कुष्ठ रोग में गैर-चिकित्सा पर्यवेक्षक या बहुकृतिक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। 4. पांच साल के लिए कुष्ठ क्षेत्र पर्यवेक्षण कार्य का अनुभव। टिप्पण 1. यदि उम्मीदवार अन्यथा सुयोग्य है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधी उम्मीदवारों के मामले में, यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के पर्याप्त अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के मिलने की संभावना नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर इन वर्गों के अभ्यर्थियों को अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दे सकता है।	लागू नहीं	दो साल

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
पदोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति: 1. वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपये) में स्तर - 4 के साथ ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ कनिष्ठ क्षेत्र अन्वेषक या गैर-चिकित्सा पर्यवेक्षक से। या फीडर संवर्ग में कोई पात्र व्यक्ति उपलब्ध न होने पर पे मैट्रिक्स में लेवल-3 (21700-69100 रुपये) के ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा वाले परा-चिकित्सा कार्यकर्ता से भरा जाने वाला पद। प्रतिनियुक्ति: (ए) कॉलम (7) में उल्लिखित योग्यता के साथ नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना। या कॉलम (7) में उल्लिखित योग्यता के साथ पे मैट्रिक्स में लेवल -4 (2500-81100रु) के ग्रेड में पांच (5) साल की नियमित सेवा। या कॉलम (7) में उल्लिखित योग्यता के साथ पे मैट्रिक्स में लेवल -3 (21700-69100 रु) के ग्रेड में दस (10) साल की नियमित सेवा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: 1. उप निदेशक (एपिड) केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान - अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक (एपिड), केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान - सदस्य; 3. सहायक निदेशक (एपिड), केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान- सदस्य; 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान- सदस्य। समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (एपिड), केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान - सदस्य; 3. वरिष्ठतम चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान- सदस्य; 4. क्षेत्र में किसी अन्य राज्य/केंद्र सरकार से राजपत्रित अधिकारी- सदस्य।	आवश्यक नहीं

[फा.सं. ए-12018/42/2019-कुष्ठ]

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार